राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

ई.एम.आई. केम्पस, जे–8–बी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 (राजस्थान)

क्रमांकः आरएसएलडीसी / प्रशा. / कोविड / का.आ. / 33260 दिनांकः 15/4/2021

परिपत्र

गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.33 (2) गृह–9 / 2019 जयपुर दिनांक 14.04.2021 द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में निगम प्रशासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों की निरन्तरता में निम्नलिखित निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं:–

1. समस्त अनुभाग प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुभाग के सभी कार्मिक एवं अन्य के द्वारा आवश्यक रूप से फेस मास्क पहना जा रहा है तथा समुचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है।
2. सम्पूर्ण कार्यस्थल, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल, रेलिंग आदि का बार–बार विसंक्रमित करना सुनिश्चित किया जाये।
3. सभी प्रवेश बिन्दुओं में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवास और सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. समस्त कार्मिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में अधिक आती हो, उसे छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें एवं साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नही होने पर सैनिटाईजर का उपयोग करे।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम में कार्यरत समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त की अनुपालना नहीं करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा अपादा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी।

(करतार सिंह)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

क्रमांकः आरएसएलडीसी / प्रशा. / कोविड / का.आ. / 33260-267 दिनांकः 15/4/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, महोदय, आरएसएलडीसी, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएसएलडीसी, जयपुर।
3. महाप्रबंधक–I/II/III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, आरएसएलडीसी, जयपुर।
5. उपमहाप्रबंधक–I/III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
6. समस्त प्रबन्धक / सहायक प्रबंधक / सहायक लेखाधिकारी / कनिष्ठ लेखाकार / समस्त सूचना सहायक एवं वाहन चालक, आरएसएलडीसी, जयपुर।
7. पीएमसीए मैसर्स ग्रांड थोरन्टन इण्डिया / मैसर्स जिला पूर्व सैनिक बहुददेशिय सहकारी समिति लिमिटेड, कोटा / मैसर्स आईपीएआई, जयपुर।
8. केयर टेकर–प्रथम, द्वित्तीय को निर्देशित किया जाता है कि कार्य स्थल पर राज्य सरकार के संदर्भित आदेशानुसार कोविड–19 के प्रबंधन हेतु जारी सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

Manager Admin/office order/Sanjay